बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–टी 3/योजना–50/2013– 737 पटना, दिनांक– 21.03.17

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेलपथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग

विषयः– श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में **''पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना''** योजनान्तर्गत 03 विभिन्न व्यवसायों के कुल 12 यूनिटों की स्थापना एवं 12 व्यवसाय अनुदेशकों के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य में युवाओं को तकनीकी ज्ञान प्रदान कर स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से वर्त्तमान में कुल 96 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित) स्थापित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में ''पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना'' योजनान्तर्गत युवाओं को कुशल तकनिशियन एवं कामगार के मानक के अनुसार प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पूर्व में सृजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लोकप्रिय नया व्यवसाय प्रारंभ करने/व्यवसायों के यूनिट में वृद्धि कर आधुनिक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से योजना मद अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में कुल 12 यूनिट प्रारंभ कर युवाओं को रोजगार/स्व–रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

2– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कल्याण बिगहा नालन्दा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , जमुई में नया व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना है। इससे राज्य के शिक्षित युवक/युवतियों को रोजगारोन्मुखी आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण की विशेष सुविधा उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। वर्ष 2016–17 में निम्नांकित लोकप्रिय व्यवसायों में कुल 02 पूर्व से सृजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना है, जिसके लिये आवश्यक संसाधन आदि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016–17 में किये जाने की स्वीकृति दी जाती है–

क0	संस्थान का नाम	व्यवसाय	यूनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , कल्याण बिगहा नालन्दा	1. फीटर	4 (2+2)	84	दो वर्ष
		2. इलेक्ट्रीशियन	4 (2+2)	84	दो वर्ष
		3. इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	02 (1+1)	42	दो वर्ष
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , जमुई	1. इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	02 (1+1)	42	दो वर्ष
योग			12	252	

3- उक्त नये स्थापित किये जाने वाले व्यवसायों के 12 यूनिटों की स्थापना पर योजना मद अंतर्गत व्यय निम्नप्रकार अनुमानित है:-

पद	वेतनमान	ग्रेड वेतन	सृजित एवं स्वीकृत किये जाने वाले पद की संख्या
व्यवसाय अनुदेशक	9300-34800	4200	12
		कुल -	(बारह) पद

<u>स्थापना पर होने वाला अनुमानित व्यय</u> :-

01 01- वेतन-	1944000.00
01 03- जी0 या0 भत्ता-	2430000.00
01 04- मकान भत्ता-	194400.00
01 06- चिकित्सा भत्ता-	28800.00
योगः-वेतन एवं भत्ते-	**4597200.00**
13 01- कार्यालय व्यय-	18000.00
52 01- मशीनें एवं उपस्कर-	3500000.00
योगः-	**8115200.00**

(रुपये एकासी लाख पंद्रह हजार दो सौ) मात्र।

4- इस योजना के तहत राशि की निकासी आय-व्यय मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम तथा रोजगार, उपमुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष-003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, मांग संख्या-26 उप शीर्ष-0105- पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना, विपत्र कोड - पी0 223003003 0105 के अन्तर्गत रुपये 100 लाख योजना उद्व्यय के अन्तर्गत व्यय प्रस्तावित है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राशि का व्यय योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रखा जाएगा। इसके लिये राशि अलग से आवंटित किया जाएगा।

5- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होगें तथा संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6- प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

7- स्वीकृत्यादेश प्रारूप में वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त है।

(ह०) 21/3/17
(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी 3/योजना-50/2013- 737 पटना, दिनांक- 21.03.17

प्रतिलिपिः-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०) 21/3/17
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी 3/योजना-50/2013- 737 पटना, दिनांक- 21.03.17

प्रतिलिपिः-विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/विभागीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी उपनिदेशक प्रशिक्षण/सभी सहायक निदेशक (शिक्षु)/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा)/संबंधित प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक एवं लिपिक (स्थापना शाखा, नियुक्ति शाखा, व्यय शाखा, नामांकन शाखा सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/3/17
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी 3/योजना-50/2013- 737 पटना, दिनांक- 21.03.17

प्रतिलिपिः-आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/3/17
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।